"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 530] रायपुर, सोमवार, दिनांक 20 अक्टूबर 2014 — आश्विन 28, शक 1936

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 16 अक्टूबर 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ 2-3/2013/1-7. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो सेवा में भर्ती के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.**-(1) ये नियम छत्तीसगढ़ राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो सेवा भर्ती नियम, 2014 कहलाएंगे।

   (2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं .**- इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

   (क) **"नियुक्ति प्राधिकारी"** से अभिप्रेत है इन नियमों की अनुसूची-एक के कॉलम (4) में उल्लिखित प्राधिकारी ;

   (ख) **"परीक्षा"** से अभिप्रेत है नियम 11 के अनुसार भर्ती के लिये आयोजित प्रतियोगी परीक्षा ;

   (ग) **"शासन"** से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शासन ;

   (घ) **"राज्यपाल"** से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ के राज्यपाल ;

   (ङ) **"अन्य पिछड़े वर्ग"** से अभिप्रेत है राज्य शासन द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित, अधिसूचना क्र. एफ. 8-5-पच्चीस-4-84, दिनांक 26 दिसम्बर, 1984 द्वारा यथा विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग ;

   (च) **"अनुसूची"** से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न अनुसूची ;

   (छ) **"अनुसूचित जाति"** से अभिप्रेत है भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथा विनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति ;

   (ज) **"अनुसूचित जनजाति"** से अभिप्रेत है भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथा विनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजाति ;

(झ) "चयन समिति" से अभिप्रेत है इन नियमों के अधीन भर्ती या पदोन्नति के लिये नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा गठित चयन समिति;

(ञ) "सेवा" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो सेवा;

(ट) "राज्य" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ राज्य।

3. विस्तार तथा लागू होना.– छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में अंतर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ये नियम सेवा के प्रत्येक सदस्य पर लागू होंगे।

4. सेवा का गठन.– सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति सम्मिलित होंगे, अर्थात्:–

(क) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के समय, अनूसूची–एक में विनिर्दिष्ट पदों को मूल रूप से या स्थानापन्न हैसियत से धारण कर रहे हों;

(ख) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के पूर्व सेवा में भर्ती किए गये हों; और

(ग) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सेवा में भर्ती किए गये हों।

5. वर्गीकरण, वेतनमान इत्यादि.– सेवा का वर्गीकरण, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या और उससे संलग्न वेतनमान, अनुसूची–एक में अंतर्विष्ट प्रावधानों के अनुसार होंगे:

परन्तु शासन, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या में, समय–समय पर, या तो स्थायी या अस्थायी आधार पर, वृद्धि या कमी कर सकेगा।

6. भर्ती का तरीका.– (1) इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात्, सेवा में भर्ती निम्नलिखित तरीकों द्वारा की जाएगी, अर्थात्:–

(क) प्रतियोगी परीक्षा अथवा चयन के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा;

(ख) सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा;

(ग) ऐसे व्यक्तियों के स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा, जो ऐसी सेवाओं में ऐसे पदों को मूल हैसियत में धारण करते हों, जैसा कि इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाये।

(2) उप–नियम (1) के खण्ड (क), (ख) या (ग) के अधीन भर्ती किये गये व्यक्तियों की संख्या, अनुसूची–एक में यथा विनिर्दिष्ट कर्तव्य पदों की संख्या के, अनुसूची–दो में दर्शाये गये प्रतिशत से किसी भी समय अधिक नहीं होगी।

(3) इन नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, भर्ती की किसी विशिष्ट कालावधि के दौरान भरे जाने के लिए अपेक्षित सेवा में किसी विशिष्ट रिक्ति या रिक्तियों को भरे जाने के प्रयोजन के लिये अपनायी जाने वाली भर्ती का तरीका या तरीके तथा ऐसे प्रत्येक तरीके द्वारा भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, प्रत्येक अवसर पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा शासन के परामर्श से अवधारित की जाएगी।

(4) उप–नियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, सेवा की अत्यावश्यकताओं को देखते हुए ऐसा करना अपेक्षित हो, तो वह, सामान्य प्रशासन विभाग से परामर्श पश्चात्, सेवा में भर्ती के उन तरीकों को छोड़ जिनको उक्त उप–नियम में विनिर्दिष्ट किया गया है, ऐसे तरीके अपना सकेगा, जिसे वह इस निमित्त जारी किये गये आदेश द्वारा विहित करे।

(5) सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने वाले पदों के लिए, मेरिट के आधार पर चयन हेतु मापदण्ड शासन द्वारा विहित किये जायेंगे। तथापि, यह आवश्यक होगा कि वह नियुक्ति प्राधिकारी इस प्रयोजन के लिये एक चयन समिति गठित करे, जो इन मापदण्डों से भिन्न कोई अन्य युक्तिसंगत मापदण्ड शासन की सहमति से अपना सकेगी।

(6) सेवा में भर्ती के समय, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) के प्रावधान तथा इस अधिनियम के अधीन शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश (यथा संशोधित) भी लागू होंगे।

7. **सेवा में नियुक्ति.**– इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सेवा में समस्त नियुक्ति, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जायेंगी और ऐसी कोई भी नियुक्ति, नियम 6 में विनिर्दिष्ट भर्ती के किसी एक तरीके द्वारा चयन करने के पश्चात् ही की जाएगी, अन्यथा नहीं।

8. **सीधी भर्ती के लिये पात्रता की शर्तें.**– सीधी भर्ती/चयन हेतु पात्र होने के लिये अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी, अर्थात्:–

(एक) आयु– (क) वर्ष, जिसमें पद हेतु विज्ञापन प्रकाशित होता है, की जनवरी के प्रथम दिन को, अभ्यर्थी ने अनुसूची–तीन के कॉलम (3) में यथा विनिर्दिष्ट आयु पूरी कर ली हो तथा उक्त अनुसूची के कॉलम (4) में यथा विनिर्दिष्ट आयु पूरी न की हो।

(ख) यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर–क्रीमीलेयर) का हो, तो उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 5 (पांच) वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(ग) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिये विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार, महिला अभ्यर्थियों के लिए उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 10 (दस) वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(घ) उन अभ्यर्थियों के संबंध में भी, जो छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी हैं अथवा रह चुके हैं, नीचे विनिर्दिष्ट की गई सीमा तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए उच्चतर आयु सीमा शिथिलनीय होगी:–

(एक) ऐसा अभ्यर्थी, जो छत्तीसगढ़ का स्थायी या अस्थायी शासकीय सेवक हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिये;

(दो) ऐसा अभ्यर्थी, जो अस्थायी रूप से पद धारण कर रहा हो तथा किसी अन्य पद के लिये आवेदन कर रहा हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। यह रियायत, आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों, कार्यभारित कर्मचारियों तथा परियोजना कार्यान्वयन समितियों में कार्यरत कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी;

(तीन) ऐसा अभ्यर्थी, जो "छंटनी किया गया शासकीय सेवक" हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गयी संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिकतम 7 वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गयी सेवाओं का योग हो, कम करने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा, परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण– शब्द "छंटनी किये गये शासकीय सेवक" से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य की या किन्हीं भी संघटक इकाइयों की अस्थायी शासकीय सेवा में कम से कम छः माह की कालावधि तक निरंतर रहा हो और जिसे किसी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवोन्मुक्त किया गया हो।

(ड.) ऐसा अभ्यर्थी, जो भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण– शब्द "भूतपूर्व सैनिक" से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति, जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग का हो तथा जो भारत सरकार के द्वारा कम से कम 6 (छः) माह की कालावधि तक निरंतर नियोजित रहा हो तथा जिसकी किसी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने अथवा शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक 3 (तीन) वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई की सिफारिशों के परिणामस्वरूप अथवा स्थापना में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छंटनी की गई हो अथवा जिसे अधिशेष (सरप्लस) घोषित किया गया हो:–

(एक) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें समय पूर्व सेवानिवृत्ति रियायतों के अधीन निर्मुक्त कर दिया गया हो;

(दो) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें दुबारा नामांकित किया गया हो, और जिन्हें–

(क) अल्पकालीन वचनबंध अवधि पूर्ण हो जाने पर;

(ख) नामांकन की शर्तें पूर्ण हो जाने पर, सेवोन्मुक्त कर दिया गया हो;

(तीन) ऐसे भूतपूर्व सैनिक/अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक), जिन्हें उनकी संविदा पूरी होने पर सेवोन्मुक्त किया गया हो, (जिनमें अल्पावधि सेवा के नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी सम्मिलित हैं);

(चार) ऐसे भूतपूर्व सैनिक/अधिकारी जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर छः माह से अधिक समय तक निरंतर कार्य करने के पश्चात् सेवोन्मुक्त किया गया हो;

(पाँच) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें इस आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया हो कि वे अब दक्ष सैनिक बनने योग्य नहीं हैं;

(छः) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो।

(सात) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग किया गया हो;

(च) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अधीन ग्रीनकार्ड धारक अभ्यर्थियों के संबंध में, उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 2 (दो) वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(छ) अस्पृश्यता निवारण नियम, 1984 के अधीन अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत पुरस्कृत दम्पत्तियों के सवर्ण पति/पत्नी के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 5 (पाँच) वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(ज) शहीद राजीव पांडे सम्मान, गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीरचंद भंजदेव सम्मान प्राप्त अभ्यर्थियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त अभ्यर्थियों के संबंध में उच्चतर आयु सीमा पाँच वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(झ) ऐसे अभ्यर्थियों के संबंध में, जो छत्तीसगढ़ राज्य निगम/मण्डल के कर्मचारी हैं, उच्चतर आयु सीमा 38 (अड़तीस) वर्ष की आयु तक शिथिलनीय होगी।

(ञ) स्वयंसेवी नगर सैनिकों तथा नगर सेना के नॉन कमीशंड अधिकारियों के मामले में, उनके द्वारा इस प्रकार की गई नगर सेना सेवा की कालावधि के लिये, उच्चतर आयु सीमा में, 8 (आठ) वर्ष की सीमा के अध्यधीन रहते हुए, छूट दी जायेगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

टीप– (1) ऐसे अभ्यर्थी, जिन्हें उपरोक्त नियम 8 (घ) (एक) तथा (दो) में उल्लिखित रियायतों के अधीन परीक्षा/चयन हेतु प्रवेश दिया गया हो, यदि वे आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात्, या तो परीक्षा/चयन के पूर्व या उसके पश्चात् सेवा से त्यागपत्र दे देते हैं, तो वे नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होंगे। तथापि, यदि आवेदन पत्र भेजने के पश्चात् सेवा या पद से उनकी छंटनी कर दी जाती है, तो वे पात्र बने रहेंगे।

(2) किसी अन्य मामले में, ये आयु सीमायें शिथिल नहीं की जायेंगी। विभागीय अभ्यर्थियों को परीक्षा/चयन हेतु उपस्थित होने के लिए नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुमति अभिप्राप्त करनी होगी।

(ट) उपरोक्त संवर्गों के किसी एक या एक से अधिक आधार पर छूट दिए जाने के उपरान्त, शासकीय सेवा में प्रवेश के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी;

(ठ) उपरोक्त के अतिरिक्त, आयु सीमा के संबंध में, शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश भी लागू होंगे।

(दो) **शैक्षणिक अर्हतायें–** अभ्यर्थी के पास सेवा के लिये विहित ऐसी शैक्षणिक अर्हतायें तथा अनुभव होना चाहिये, जैसा कि अनुसूची–तीन में दर्शित है।

(तीन) **शुल्क–** (क) अभ्यर्थी को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विहित शुल्क का भुगतान करना होगा।

(ख) ऐसे अभ्यर्थी, जो चिकित्सा मण्डल के समक्ष उपस्थित होने के लिये अपेक्षित किये गये हों, को स्वास्थ्य परीक्षा के पूर्व चिकित्सा मण्डल के अध्यक्ष को, शासन द्वारा यथा विहित शुल्क का भुगतान करना होगा।

निरर्हता.– (1) अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, किन्हीं भी साधनों से समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा चयन के लिये निरर्हित माना जा सकेगा।

(2) कोई भी पुरूष अभ्यर्थी, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और कोई भी महिला अभ्यर्थी, जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो, जिसकी पहले ही एक पत्नी जीवित हो, किसी सेवा या पद मे नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा/होगी:

परन्तु यदि शासन का यह समाधान हो जाए कि ऐसा करने के विशेष कारण हैं, तो शासन, ऐसे अभ्यर्थियों को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

(3) कोई भी अभ्यर्थी, किसी सेवा या पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक कि उसे ऐसी स्वास्थ्य परीक्षा में, जैसी कि विहित की जाये, मानसिक या शारीरिक रूप से स्वस्थ, तथा किसी मानसिक या शारीरिक दोष, जो किसी सेवा या पद के कर्तव्य को पूरा करने में बाधा डाल सकता हो से मुक्त, घोषित न कर दिया जाये:

परन्तु आपवादिक मामलों में, अभ्यर्थी को उसकी स्वास्थ्य परीक्षा के पूर्व किसी सेवा या पद पर इस शर्त के अधीन अस्थायी नियुक्ति दी जा सकेगी कि यदि वह चिकित्सीय रूप से अस्वस्थ पाया जाता है, तो उसकी सेवायें तत्काल समाप्त की जा सकेंगी।

(4) कोई भी अभ्यर्थी, किसी सेवा या पद के लिये उस स्थिति में पात्र नहीं होगा, यदि नियुक्ति प्राधिकारी का, ऐसे सम्यक् जांच, जैसा कि वह आवश्यक समझे, के पश्चात, यह समाधान हो जाये कि वह (अभ्यर्थी) ऐसी सेवा या पद के लिए उपयुक्त नहीं है।

(5) कोई भी अभ्यर्थी, जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित तो उसकी नियुक्ति का मामला तब तक लंबित रखा जायेगा, जब तक कि आपराधिक मामले का न्यायालय द्वारा अंतिम अवधारण न कर दिया जाये।

(6) कोई भी अभ्यर्थी, जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा।

(7) कोई भी अभ्यर्थी, जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हैं, जिनमें से एक जन्म 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगाः

परन्तु कोई भी अभ्यर्थी, जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तः आगामी प्रसव 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हो, जिसमें दो या दो अधिक संतान का जन्म होता है, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए निरर्हि नहीं होगा।

10. अभ्यर्थियों की पात्रता के बारे में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा.- (1) चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता या अन्यथा के संबंध में, नियुक्ति प्राधिकारी व विनिश्चय अंतिम होगा और किसी भी अभ्यर्थी को, जिसे परीक्षा/साक्षात्कार नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रवेश प्रमाणपत्र जारी नहीं किया गया है, परीक्षा य साक्षात्कार में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

(2) चयन प्रक्रिया के किसी समय पर अथवा शासन को चयन सूची भेजने वे पश्चात्, यदि नियुक्ति प्राधिकारी के संज्ञान में यह तथ्य आता है कि अभ्यर्थी ने असत्य जानकारी दी है अथवा उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में कोई विसंगति पायी गई है, तो वह निरर्हित हो जायेगा एवं उसका चयन/नियुक्ति, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समाप्त कर दी जायेगी।

11. चयन/प्रतियोगी परीक्षा/साक्षात्कार द्वारा सीधी भर्ती.-- (1) नियुक्ति प्राधिकारी समय-समय पर एक चयन समिति गठित करेगा, जिसमें तीन सदस्य सम्मिलित होंगे।

(2) सेवा में भर्ती के लिये चयन ऐसे अंतरालों पर किया जायेगा, जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी, शासन के परामर्श से, समय-समय पर अवधारित करे।

(3) प्रतियोगिता परीक्षा, चयन समिति द्वारा ऐसे पाठ्यक्रम, परीक्षा योजना तथा निर्देशों के अनुसार आयोजित की जायेगी, जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा शासन के परामर्श से समय–समय पर जारी किये जाये।

(4) सेवा में भर्ती के समय, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) के उपबंध तथा इस अधिनियम के अधीन शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश लागू होंगे।

(5) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित उन अभ्यर्थियों, जिन्हें उनकी प्रशासनिक दक्षता को ध्यान में रखते हुए नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नियुक्ति के लिये पात्र घोषित किया गया हो, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्त किया जा सकेगा।

(6) इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरते समय, ऐसे अभ्यर्थी, जो अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्य हैं, की नियुक्ति के लिये उसी क्रम में विचार किया जायेगा, जिस क्रम में उनके नाम नियम 12 में निर्दिष्ट सूची में आये हों, चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षिक रैंक कुछ भी क्यों न हो।

(7) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार, 30 प्रतिशत पद महिला अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित रखे जायेंगे। यह आरक्षण, समस्तर एवं प्रभागवार होगा।

(8) ऐसे मामलों में, जहां सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिये कुछ कालावधि का अनुभव आवश्यक शर्त के रूप में विहित किया गया है और सक्षम प्राधिकारी की राय में यह पाया जाए कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, तो सक्षम प्राधिकारी, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिये अनुभव की शर्त को शिथिल कर सकेगा।

(9) निःशक्त व्यक्तियों के लिए, सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों के अनुसार आरक्षण होगा।

12. **चयन समिति द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थियों की सूची.–** (1) चयन समिति, अभ्यर्थियों की योग्यता क्रम में व्यवस्थित एक सूची, जो ऐसे स्तर से अर्हित हों त अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर–क्रीमीले से संबंधित उन अभ्यर्थियों की एक सूची, जो उस स्तर से अर्हित नहीं है, वि प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए सेवा में नियुक्ति लिये नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उपयुक्त घोषित किये गये हों तथा महिला, निःश व्यक्ति/भूतपूर्व सैनिक से संबंधित प्रत्येक प्रवर्ग के अभ्यर्थियों की एक सूची आरक्षण के फलस्वरूप ऐसे स्तर से अर्हित हों, मेरिट क्रम में तैयार करेगा, जिस वैधता, नियुक्ति हेतु शासन को सूची के भेजे जाने की तारीख से एक वर्ष के लि होगी।

(2) उप–नियम (1) के अधीन इस प्रकार तैयार की गई सूची, सर्वसाधारण जानकारी के लिये नियुक्ति प्राधिकारी की वेबसाइट पर अधिसूचित की जायेगी।

(3) चयन समिति, उप–नियम (1) के अधीन तैयार की गई चयन सूची, नियुक्ति संबंध में अग्रिम कार्यवाही हेतु नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रेषित करेगा।

(4) इन नियमों तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 19 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, उपलब्ध रिक्तियों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति लिये उसी क्रम में विचार किया जायेगा, जिस क्रम में उनके नाम सूची में आये है

(5) सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किये जाने से ही उसे नियुक्ति लिये कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता, जब तक कि शासन का ऐसी जां करने के पश्चात्, जैसा कि वह आवश्यक समझे, यह समाधान न हो जाये कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त है।

(6) चयन समिति, नियुक्ति प्राधिकारी से प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात्, विधिमान कारण दर्शाते हुए, अधिकतम 6 माह की कालावधि के लिए चयन सूची की वैधा अवधि में वृद्धि कर सकेगा तथा चयन सूची की वैधता अवधि में 6 माह की वृ होने पर, प्रतीक्षा सूची की वैधता अवधि में 6 माह की स्वाभाविक वृद्धि होना मान जायेगा।

13. परिवीक्षा.– (1) सेवा में भर्ती किया गया प्रत्येक व्यक्ति, 2 वर्ष की कालावधि के लि परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा।

(2) यदि कार्य असंतोषप्रद पाया जाता है, तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परिवीक्षा व कालावधि, अधिकतम एक वर्ष तक की अवधि के लिए बढ़ाई जा सकेगी।

(3) परिवीक्षा की कालावधि या बढ़ाई गई कालावधि के दौरान या परिवीक्ष कालावधि के अंत में, यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय हो कि कोई विशेष अभ्यर्थ अधिकारी बनने हेतु योग्य नही है, तो ऐसे परिवीक्षाधीन व्यक्ति की सेवा समाप्त व जा सकेंगी।

14. **पदोन्नति द्वारा नियुक्ति.–** (1) पात्र अभ्यर्थियों की पदोन्नति हेतु प्रारंभिक चयन करने के लिये एक चयन समिति गठित की जायेगी जिसमें अनुसूची–चार में यथा उल्लिखित नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नामांकित सदस्य सम्मिलित होंगे:

परन्तु इस उप–नियम के अधीन, समिति के गठन के लिए, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) की धारा 8 के उपबंध भी लागू होंगे।

(2) समिति की बैठक ऐसे अन्तरालों में होगी, जो साधारणतः एक वर्ष से अधिक न हो तथा समिति का कार्यकाल, उसके स्थापना या उसके पुनर्गठन, जो भी पहले हो, से एक वर्ष के लिये होगा।

(3) प्रत्येक पदोन्नति, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के उपबंधों के अनुसार की जायेगी।

(4) आरक्षित रिक्तियों में पदोन्नति करने हेतु प्रकिया, उप–नियम (3) तथा शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुसार होगी।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रमाणन– नियुक्ति प्राधिकारी, अपने द्वारा जारी किये जाने वाले पदोन्नति आदेश पर, इस आशय के प्रमाणपत्र का पृष्ठांकन करेगा कि उसने छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) तथा छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के उपबंधों तथा उक्त अधिनियम के उपबंधों के प्रकाश में जारी निर्देशों तथा शासन द्वारा बनाये गये नियमों का पालन कर लिया है तथा उसने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप–धारा (1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान लिया है।

15. **पदोन्नति के लिये पात्रता की शर्तें.–** (1) उप–नियम (2) के प्रावधानों के अध्यधीन रहते हुए, समिति उन समस्त व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी, जिन्होंने उस वर्ष की जनवरी के प्रथम दिन को, उन पदों में, जिनसे पदोन्नति की जानी है, जैसा कि अनुसूची–चार के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट है अथवा शासन द्वारा उसके समतुल्य घोषित किन्हीं अन्य पद या पदों पर (चाहे मूल रूप में या स्थानापन्न रूप में), उतने वर्षों की सेवा, जैसा कि अनुसूची–चार के कॉलम (4) में यथा विनिर्दिष्ट है, पूर्ण कर ली हो तथा जो उप–नियम (2) के उपबंधों के अनुसार विचारण क्षेत्र में आते हों।

स्पष्टीकरण– पदोन्नति के लिए पात्रता हेतु संगणना की रीति– संबंधित वर्ष, जिसमें विभागीय पदोन्नति समिति आहूत की जाती है, की प्रथम जनवरी को अर्हकारी सेवा की कालावधि की गणना, उस कैलेण्डर वर्ष से की जाएगी, जिसमें लोक सेवक फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आया हो और संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आने की तारीख से नहीं।

(2) (एक) ऐसे मामलों में, जहाँ पदोन्नति वरिष्ठता सह–उपयुक्तता (सीनियारिटी कम फिटनेस) के आधार पर अथवा अनुपयुक्त अभ्यर्थी को छोड़कर वरिष्ठता के आधार पर की जानी हो, वहां सभी वर्गो के लिये विचारण हेतु कोई आधार नहीं होगा। केवल लोक सेवकों की ऐसी संख्या के प्रस्तावों पर वरिष्ठता के अनुसार विचार किया जायेगा, जो कि प्रत्येक प्रवर्ग में विद्यमान पदों तथा 1 वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति/पदोन्नति के कारण प्रत्याशित रिक्त पदों की संख्या को भरने के लिए पर्याप्त होगी।

(दो) ऐसे मामलों में, जहां पदोन्नति योग्यता सह–वरिष्ठता (मेरिट कम सीनियारिटी) के आधार पर की जानी हो, वहाँ विचारण का क्षेत्र कुल रिक्त पदों के दो गुने से चार अधिक होगा। यदि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के शासकीय सेवकों की पर्याप्त संख्या, पदोन्नति के लिए उपलब्ध न हो, तो विचारण के क्षेत्र में कुल रिक्त पदों की संख्या के 7 गुने तक वृद्धि की जा सकेगी तथा आरक्षित पदों की पूर्ति, उपरोक्त उल्लिखित विचारण क्षेत्र में आये आरक्षित संवर्ग के व्यक्तियों से की जा सकेगी। समिति, उक्त विचारण के क्षेत्र से प्रत्येक प्रवर्ग के अधीन विद्यमान तथा एक वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति तथा पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिए विचार करेगी।

(3) उप–नियम (2) के अधीन प्रत्याशित रिक्तियों के अतिरिक्त उपरोक्त कालावधि के दौरान होने वाली अप्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिये, दो लोक सेवकों के या चयन सूची में सम्मिलित लोक सेवकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक, जो भी अधिक हो, उनके नाम सम्मिलित करने के प्रयोजन से प्रत्येक प्रवर्ग के लिए अपेक्षित संख्या में लोक सेवकों के नाम पर विचार किया जायेगा।

(4) शासन द्वारा विहित आरक्षण रोस्टर के अनुसार पदोन्नति की जायेगी।

(5) छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के अन्य प्रावधान तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी आदेश, पदोन्नति के लिये लागू होंगे।

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नया रायपुर

:: अधिसूचना ::

नया रायपुर, दिनांक 09 नवम्बर, 2015

क्रमांक एफ 2—3/2013/1—7 :: भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतदद्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो सेवा भर्ती नियम, 2014 में निम्नलिखित संशोधन करते है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियम में :—

नियम— 18 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात:—

"18 परिवीक्षा — सेवा में पदोन्नति द्वारा नियुक्त किये गये प्रत्येक व्यक्ति को, दो वर्ष की कालावधि के लिये स्थानापन्न हैसियत से परिवीक्षा पर रखा जायेगा "

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(के.आर. मिश्रा)
अपर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

नया रायपुर, दिनांक 09 नवम्बर, 2015

क्रमांक एफ 2—3/2013/1—7 :: भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 09 नवम्बर, 2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(के.आर. मिश्रा)
अपर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

Letter-2015 -1064

. **चयन सूची.**– (1) समिति, ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी, जो उपर्युक्त नियम 14 एवं 15 में विहित शर्तों को पूरी करते हों तथा जिन्हें समिति द्वारा सेवा में पदोन्नति के लिये उपयुक्त समझा गया हो। यह सूची चयन सूची के तैयार किये जाने की तारीख से 1 वर्ष की कालावधि के दौरान सेवानिवृत्ति तथा पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिये पर्याप्त होगी। इसके अतिरिक्त, उक्त कालावधि के दौरान होने वाली अप्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिये, एक आरक्षित सूची तैयार की जायेगी, जिसमें प्रत्येक प्रवर्ग से एक एवं अधिकतम 25% तक नाम सम्मिलित होंगे। .

(2) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित की गई सूची, अनुसूची–चार के कॉलम (2) में उल्लिखित पदों से अनुसूची–चार के कॉलम (3) में उल्लिखित पदों पर, सेवा के सदस्यों की पदोन्नति के लिए चयन सूची होगी।

(3) चयन सूची, सामान्यतया इसके प्रकाशन किये जाने की तारीख से कैलेण्डर वर्ष के 31 दिसम्बर तक विधिमान्य रहेगी:

परन्तु चयन सूची में सम्मिलित किसी व्यक्ति की ओर से आचरण या कर्तव्य के निर्वहन में गंभीर चूक होने की स्थिति में, नियुक्ति प्राधिकारी के अनुरोध पर चयन सूची का विशेष रूप से पुनर्विलोकन किया जा सकेगा और यदि वह उचित समझे, तो चयन सूची से ऐसे व्यक्ति का नाम हटा सकेगा।

17. **चयन सूची से सेवा में नियुक्ति.**– (1) चयन सूची में सम्मिलित व्यक्तियों की सेवा संवर्ग के पदों पर नियुक्ति उसी क्रम में की जायेगी जिस क्रम में उनके नाम छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के प्रावधानों के अनुसार सूची में आये हों।

(2) साधारणतः उस व्यक्ति की, जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित हो, सेवा में नियुक्ति के पूर्व समिति से परामर्श करना तब तक आवश्यक नहीं होगा, जब तक कि चयन सूची में उसका नाम शामिल किये जाने तथा प्रस्तावित नियुक्ति की तारीख के बीच की कालावधि के दौरान उसके कार्य में ऐसी कोई गिरावट न आ जाये, जो शासन की राय में, सेवा में नियुक्ति के लिये उसे अनुपयुक्त सिद्ध करती हो।

18. **परिवीक्षा.**– सेवा में पदोन्नति द्वारा भर्ती किया गया प्रत्येक व्यक्ति, 2 वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा।

19. **निर्वचन.**— यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत हो, तो उसे राज्य शासन को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

20. **शिथिलीकरण.**— इन नियमों में दी गई किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा, कि वह किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में, जिस पर ये नियम लागू होते हैं, ऐसी रीति से कार्यवाही करने की राज्यपाल की शक्ति को, जो उसे न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत हो, सीमित या कम करती है:

परंतु कोई मामला ऐसी रीति से नहीं निपटाया जाएगा जो इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिये कम अनुकूल हो।

21. **निरसन एवं व्यावृत्ति.**— (1) इन नियमों के तत्स्थानी और इन नियमों के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त समस्त नियम, इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं:

परंतु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन दिया गया कोई भी आदेश या की गई कार्रवाई, इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्रवाई समझी जायेगी।

(2) इन नियमों में दी गई कोई भी बात, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये शासन द्वारा समय-समय पर इस संबंध में जारी किये गये आदेशों के अनुसार उपबंधित आरक्षण को प्रभावित नहीं करेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. डी. सिंह, विशेष सचिव.

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 340] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 4 अगस्त 2017 — श्रावण 13, शक 1939

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 4 अगस्त 2017

अधिसूचना

क्रमांक एफ 2-3/2013/1-7. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो सेवा भर्ती नियम, 2014 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में :-

अनुसूची-एक, दो, तीन एवं चार के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :-

अनुसूची-एक
(नियम 5 देखिये)

स. क्र.	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पदों की कुल संख्या	नियुक्ति प्राधिकारी	वर्गीकरण	वेतनमान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	पुलिस महानिरीक्षक	1	राज्य शासन	प्रथम श्रेणी	37400-67000+ग्रेड वेतन 10000
2.	विधिक सलाहकार	1	-तदैव-	प्रथम श्रेणी	37400-67000+ग्रेड वेतन 8700
3.	पुलिस अधीक्षक	1	-तदैव-	प्रथम श्रेणी	15600-39100+ग्रेड वेतन 7600

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.	उप संचालक (अभियोजन)	1	राज्य शासन	प्रथम श्रेणी	15600-39100+ग्रेड वेतन 6600
5.	लेखा अधिकारी	1	-तदैव-	द्वितीय श्रेणी	15600-39100+ग्रेड वेतन 5400
6.	पुलिस उप अधीक्षक	4	-तदैव-	द्वितीय श्रेणी	15600-39100+ग्रेड वेतन 5400
7.	अनुभाग अधिकारी	1	पुलिस महानिरीक्षक	द्वितीय श्रेणी	9300-34800+ग्रेड वेतन 4400
8.	जिला लोक अभियोजन अधिकारी	3	संचालक लोक अभियोजन	द्वितीय श्रेणी	9300-34800+ग्रेड वेतन 4400
9.	निरीक्षक	12	पुलिस महानिरीक्षक	तृतीय श्रेणी	9300-34800+ग्रेड वेतन 4300
10.	सहायक अधीक्षक	1	पुलिस अधीक्षक	-तदैव-	9300-34800+ग्रेड वेतन 4200
11.	शीघ्रलेखक (हिन्दी)	2	-तदैव-	-तदैव-	5200-20200+ग्रेड वेतन 2800
12.	सहायक ग्रेड-2	1	-तदैव-	-तदैव-	5200-20200+ग्रेड वेतन 2400
13.	डाटा एन्ट्री आपरेटर	9	-तदैव-	-तदैव-	5200-20200+ग्रेड वेतन 2400
14.	सहायक उप निरीक्षक	1	-तदैव-	-तदैव-	5200-20200+ग्रेड वेतन 2400
15.	प्रधान आरक्षक	11	-तदैव-	-तदैव-	5200-20200+ग्रेड वेतन 2200
16.	सहायक ग्रेड-3	3	-तदैव-	-तदैव-	5200-20200+ग्रेड वेतन 1900
17.	स्टेनो टायपिस्ट	1	-तदैव-	-तदैव-	5200-20200+ग्रेड वेतन 1900
18.	आरक्षक	21	-तदैव-	-तदैव-	5200-20200+ग्रेड वेतन 1900
19.	आरक्षक (चालक)	3	-तदैव-	-तदैव-	5200-20200+ग्रेड वेतन 1900
20.	आरक्षक (सहायक)	8	-तदैव-	-तदैव-	5200-20200+ग्रेड वेतन 1900
21.	वाहन चालक	5	-तदैव-	-तदैव-	5200-20200+ग्रेड वेतन 1900
22.	वाहन चालक (कलेक्टर दर)	6	-तदैव-	-तदैव-	कलेक्टर दर के अनुसार
23.	चौकीदार	1	-तदैव-	चतुर्थ श्रेणी	4750-7440+ग्रेड वेतन 1300
24.	आरक्षक (एम)	1	-तदैव-	-तदैव-	4750-7440+ग्रेड वेतन 1300
25.	स्वीपर	1	-तदैव-	-तदैव-	4750-7440+ग्रेड वेतन 1300

अनुसूची–दो
(नियम 6 देखिये)

स.क.	सेवा/पद का नाम	कर्तव्य पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले कर्तव्य पदों की संख्या का प्रतिशत			टिप्पणियां
			सीधी भर्ती द्वारा (नियम 6 (1) (क) देखिये)	पदोन्नति द्वारा (नियम 6 (1) (ख) देखिये)	अन्य सेवाओं से व्यक्तियों के स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा (नियम 6 (1) (ग) देखिये)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	पुलिस महानिरीक्षक	1	–	–	100% गृह (पुलिस) विभाग	–
2	विधिक सलाहकार	1	–	–	100% विधि विभाग	–
3	पुलिस अधीक्षक	1	–	–	100% गृह (पुलिस) विभाग	–
4	उप संचालक (अभियोजन)	1	–	–	100% गृह (पुलिस) विभाग	–
5	लेखा अधिकारी	1	–	–	100% वित्त सेवा	–
6	पुलिस उप अधीक्षक	4	–	–	100% गृह (पुलिस) विभाग	–
7	अनुभाग अधिकारी	1	–	100%	–	सहायक अधीक्षक, ईओडब्ल्यू पद से पदोन्नति
8	जिला लोक अभियोजन अधिकारी	3	–	–	100% गृह (पुलिस) विभाग	1 पद ईओडब्ल्यू तथा 2 पद लोक अभियोजन विभाग से
9	निरीक्षक	12	–	–	100% गृह (पुलिस) विभाग	–
10	सहायक अधीक्षक	1	–	100%	–	सहायक ग्रेड–दो से पदोन्नति
11	शीघ्रलेखक (हिन्दी)	2	50%	50%	–	स्टेनो टायपिस्ट से पदोन्नति –
12	सहायक ग्रेड–2	1	–	100%	–	सहायक ग्रेड–3 से पदोन्नति
13	डाटा एन्ट्री आपरेटर	9	100%	–	–	–
14	सहायक उप निरीक्षक	1	–	–	100% गृह (पुलिस) विभाग	–
15	प्रधान आरक्षक	11	–	–	100% गृह (पुलिस) विभाग	–
16	सहायक ग्रेड–3	3	75%	25%	–	चतुर्थ श्रेणी से पदोन्नति
17	स्टेनो टायपिस्ट	1	100%	–	–	–
18	आरक्षक	21	–	–	100% गृह (पुलिस) विभाग	–
19	आरक्षक (चालक)	3	–	–	100% गृह (पुलिस) विभाग	–

20	आरक्षक (सहायक)	8	—	—	100% गृह (पुलिस) विभाग	—
21	वाहन चालक	5	100%	—	—	—
22	वाहन चालक (कलेक्टर दर पर)	6	100%	—	—	कलेक्टर दर से
23	चौकीदार	1	100%	—	—	—
24	आरक्षक (एम)	1	—	—	100% गृह (पुलिस) विभाग	
25	स्वीपर	1	100%	—	—	—

टीपः— राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो विभाग द्वारा सीधी भर्ती किये गये सहायक ग्रेड—तीन/डाटा एण्ट्री ऑपरेटर/शीघ्रलेखक/स्टेनो टायपिस्ट/वाहन चालक/चौकीदार तथा स्वीपर के पदों में शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के चयन नियमों/नीति के अन्तर्गत सीधी भर्ती किया जाता है तथा आरक्षक से पुलिस महानिरीक्षक तक के पुलिस विभाग के पद, प्रतिनियुक्ति आधार पर भरे जायेंगे, अतएव, वरिष्ठता/पदोन्नति/समयमान वेतन आदि, उनके पैतृक विभाग अर्थात् गृह (पुलिस) विभाग द्वारा विनिश्चित किये जायेंगे।

अनुसूची–तीन
(नियम 8 देखिये)

स. क.	सेवा/पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	विहित शैक्षणिक अर्हता	टिप्पणियां
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	शीघ्रलेखक (हिन्दी)	18 वर्ष	30 वर्ष (छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी के लिये 35 वर्ष)	(1) किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण, अथवा पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण। (2) किसी मान्यता प्राप्त मण्डल/ संस्था/ शीघ्रलेखन (शार्टहैण्ड) मुद्रलेखन परिषद् से:– (क) शीघ्रलेखक (हिन्दी) के लिये–हिन्दी शीघ्रलेखन (शार्टहैण्ड) प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण एवं शीघ्रलेखन (शार्टहैण्ड) में 100 शब्द प्रति मिनट की गति (गति के लिए कौशल परीक्षा ली जायेगी)। (ख) शीघ्रलेखक (अंग्रेजी) के लिये– अंग्रेजी शीघ्रलेखन (शार्टहैण्ड) प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण एवं शीघ्रलेखन (शार्टहैण्ड) में 100 शब्द प्रति मिनट की गति (गति के लिए कौशल परीक्षा ली जायेगी)। (ग) द्विभाषी शीघ्रलेखक के लिये– ऊपर खण्ड (क) तथा (ख) में विनिर्दिष्ट अनुसार हिन्दी एवं अंग्रेजी शीघ्रलेखन (शार्टहैण्ड) पाठ्यकम प्रमाणपत्र उत्तीर्ण तथा शीघ्रलेखन (शार्टहैण्ड) में 100 शब्द प्रति मिनट की गति (गति के लिए कौशल परीक्षा ली जायेगी)। (3) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एण्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/ प्रमाणपत्र और डाटा एण्ट्री में 10,000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटे की गति (गति के लिए कौशल परीक्षा ली जायेगी)।	
2	डाटा एन्ट्री आपरेटर	21वर्ष	30 वर्ष (छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी के लिये 35 वर्ष)	(1) किसी मान्यता प्राप्त मंडल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण, अथवा पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण, अथवा 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण तथा किसी मान्यता प्राप्त	

				संस्था से त्रिवर्षीय डिप्लोमा। (2) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एण्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा / प्रमाणपत्र तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी में डाटा एण्ट्री की 8,000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटे की गति (गति के लिए कौशल परीक्षा ली जायेगी)।	
3	सहायक ग्रेड-3	18 वर्ष	-तदैव-	(1) किसी मान्यता प्राप्त मंडल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण, अथवा पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण। (2) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एण्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाणपत्र। (3) हिन्दी कम्प्यूटर टाईप लेखन में 5,000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटे की गति (गति के लिए कौशल परीक्षा ली जायेगी)।	
4	स्टेनो टायपिस्ट	18 वर्ष	30 वर्ष (छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी के लिये 35 वर्ष)	(1) किसी मान्यता प्राप्त मंडल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण, अथवा पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण। (2) हिन्दी शीघ्रलेखन (शार्टहैण्ड) में 60 शब्द प्रति मिनट की गति (गति के लिए कौशल परीक्षा ली जायेगी)। (3) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एण्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाणपत्र तथा डाटा एण्ट्री की 5,000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटे की गति (गति के लिए कौशल परीक्षा ली जायेगी)	
5	वाहन चालक	18 वर्ष	-तदैव-	किसी मान्यता प्राप्त मंडल से 8वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये तथा वैध ड्राइविंग लायसेंस सहित ड्राइविंग का 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिये।	
6	चौकीदार	18 वर्ष	-तदैव-	किसी मान्यता प्राप्त मंडल से 8वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये।	
7	स्वीपर	18 वर्ष	-तदैव-	किसी मान्यता प्राप्त मंडल से 5वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये।	

अनुसूची–चार
(नियम 6, 13 एवं 14 देखिये)

क्र.	सेवा या पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी हो	सेवा या पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी हो	पद के लिये पात्रता हेतु न्यूनतम अनुभव की कालावधि	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्य का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	सहायक अधीक्षक	अनुभाग अधिकारी	5 वर्ष	नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समय–समय पर नामांकित किये जायेंगे।
2	सहायक ग्रेड–दो	सहायक अधीक्षक	5 वर्ष	–तदैव–
3	सहायक ग्रेड–तीन	सहायक ग्रेड–दो	5 वर्ष	–तदैव–
4	स्टेनो टायपिस्ट	शीघ्रलेखक (हिन्दी)	5 वर्ष	–तदैव–
5	चतुर्थ श्रेणी	सहायक ग्रेड–3	5 वर्ष	–तदैव–

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, अपर सचिव